न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

...01.../2024 तारीखरजूः– 8/1/24

उनवानः– रामगोपाल बनाम सरकार जरिये जिला कलक्टर वगै0
प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

फर्द अहकाम

1/24 प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण को प्रश्नगत भूमि मे सायल को प्रार्थी के पक्ष मे अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए **गैरसायलान** को दिनांक 01.03.2024 तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि विवादग्रस्त आराजी ख0नं0 516/0.44 है0, 531/0.20 है0, 517/0.12, 525/0.49 स्थित ग्राम नांद तहसील टोडाभीम मे आगामी तारीख पेशी तक रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियो मे यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है मे परिवर्तन की दशा मे संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 01.03.2024 को पेश हो।

44-49
8.1.24

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

फर्द अहकाम

30-8-24

मु0न0:– 01/2024

उनवान:– रामगोपाल बनाम सरकार वगै0

पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष वकील उपस्थित, उभयपक्ष वकील की प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई। प्रार्थीगण वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी ख0न0 516/0.44, 531/0.20 कुल किता 2 कुल रकवा 0.64 है0 को सायलान ने आज से करीब 40 वर्ष पूर्व समतल व उपजाउ बनाया तभी से सायलान उक्त आराजी का उपयोग उपभोग कर रहे है। हाल ख0न0 517/0.12, 525/0.47 है0 की खातेदारी गैरसायल न0 3 ता 5 के ह कमे दर्ज रिकार्ड है। जिसका साबिक ख0न0 73/8 मिन है। सायलान का गैरसायल न0 2 ने धारा 91 के नोटिस जारी किये है। सायल द्वारा 40 वर्ष से पेनल्टी अदा कर काश्त कर रहे है। इस प्रकार गैरसायलान का उक्त आराजी पर कब्जा चला आ रहा है। वर्णित आराजी से गैरसायलान का कोई संबध नही है। ख0न0 517/0.12, 525/0.47 है0 को गैरसायल न0 3 ता 5 बिना कब्जा हस्तान्तरण क्रय कर खातेदारी दर्ज करा ली है, जिनमे गैरसायल न0 3 व 4 सगे पिता पुत्र है। जो ग्राम पहाडी के मूल निवासी है एवं गैरसायल न0 5 सायलान के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग की आराजी ख0न0 531 व 516 के पडौस मे स्थित आराजी हाल ख0न0 517, 525 की खातेदारी अपने ह कमे होने का नाजायज फायदा उठाकर आये दिन सायलान के कब्जे मे मजाहमत मदाखलत करते रहते है। सायलान का प्राईमाफेसी केस बखूबी साबित है। तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का सिद्वान्त भी सायलान के पक्ष मे है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही होने से गैरसायलान को कोई अपूर्तनीय क्षति नही है। अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाकर ग्राम नांद की आराजी ख0न0 516/0.44, 531/0.20 मे कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग मे मजाहमत मदाखलत नही करे। एवं निर्माण को किसी प्रकार से नष्ट नही करें सायलान को बेदखल नही करे। तथा रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

गैरसायलान न0 3 ता 6 के वकील ने जबाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि आराजी ख0न0 516, 531 से सायला का तकेई संबध किसी प्रकार से नही है। नाही सायलान का कब्जा है, बल्कि उक्त आराजी सरकारी जमीन है। जिसका साबिक रिकार्ड 73/7 मिन है। वर्णित आराजी के पश्चिमी दक्षिणी दिशा मे गैरसायल न0 3 ता 5 द्वारा पूर्व खातेदार विनोद पुत्र रतनलाल से जरिये रजिसटर्ड विक्रय पत्र खरीद किया जाना स्वीकार है। तथा राज्य सरकार द्वारा यह कानून नही बनाया गया कि भारत मे किसी भी हिस्से मे रहने वाला व्यक्ति राजस्थान के किसी भी हिस्से मे सम्पत्ति नही खरीद सकता हो , गैरसायल न0 3 ता 5 की भूमि ख0न0 517 व 525 के 60 फिट चौडी व 700 फिट लम्बाई की आराजी पर जबरन कब्जा कर लिया है। जिससे बेदखली बावत गैरसायल न0 3 ता 5 द्वारा न्यायालय तहसीलदार टोडाभीम के यहा 182 बी के तहत प्रार्थना पत्र दायर कर रखा है। सायलान का प्राईमाफेसी केस साबित नही है नाही सुविधा का संतुलन व अपूर्तनीय क्षति का सिद्वान्त ही सायलान के पक्ष मे साबित है। अतः सायलान का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाय जावे।

उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया, पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया, प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात ख0न0 516, 531, पत्रावली मे शामिल ग्राम नांद की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 अनुसार राजस्थान सरकार खातेदार दर्ज रिकार्ड है। वर्णित आराजीयात के संबध मे न्यायालय तहसीलदार टोडाभीम द्वारा भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर रखी है। तथा ख0न0 517, 525 पत्रावली मे शामिल जमाबन्दी अनुसार गैरसायल न0 3 ता 5 के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। सायलान द्वारा जो विधुत बिल पत्रावली मे शामिल किये गये है उनका पत्रावली मे कोई औचित्य नही है क्योकि विधुत बिलो मे खसरा नम्बरान का उल्लेख नही किया जाता है। उक्त विवेचन से पृथम दृष्टया प्रकरण सायलान के पक्ष मे साबित नही है जब प्रथम दृष्टया प्रकरण सायलान के पक्ष मे साबित नही होने से सुविधा का संतुलन भी सायलान पक्ष मे सावित नही है अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से सायलान को कोई अपूर्ततीय क्षति नही होगी क्योकि सायलान द्वारा वर्णित आराजी ख0न0 516, 531 की खातेदारी राजस्थान सरकार के नाम दर्ज रिकार्ड है। अतः न्यायालय हाजा द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 08.01.2024 को खारिज करते हुये सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

(सुनीता मीना)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन स...